रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1517] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2012/श्रावण 23, 1934
No. 1517] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2012/SHRAVANA 23, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2012

का.आ. 1820(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2236(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2011, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा जिले में, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 157/500 कि.मी. से 165/000 कि.मी. (जयपुर-टोंक-देवली सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 19 नवम्बर, 2011 को "दैनिक भास्कर" और "राजस्थान पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के 157/500 कि.मी. से 165/000 कि.मी. (जयपुर – टोंक–देवली सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	भूस्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	भीलवाडा	जहाजपुर	(1) कुचलवाडा कलां	1797 / 1509	सरकारी	बारानी	2.2673	बीसलपुर परियोजना के विस्थापितों के कृषि एवं पुर्नवास के प्रयोजनार्थ आरक्षित
			(2) कुचलवाडा खुर्द	686 / 176	निजी	ह 1	0.0900	राकेश पिता चन्दा, मन्नी देवी बेवा चन्दा मीणा सा. देह खातेदार
				177	निजी	गै0 मु0 रेछा	0.0900	सीताराम पि. सोकरण रामदेव पुत्र देबीया रामनिवास राजेश पि. श्रीलाल फेफा पि. मादू राकेश पिता चन्दा मन्नी देवी बेवा चन्दा रहन एस.बी.बी.जे. जहाजपुर हिस्सा सीताराम
				639 / 248	निजी	हकत ं	0.0400	लालाराम मु. दयालाराम बैरवा सा. देह खातेदार
				640 / 248	निजी	हकत ं	0.0300	रामप्रसाद पिता गोपी बैरवा सा. देह खातेदार
						कुल योग	2.5173	

[फा. सं. भारारापा्र/बीओटी/11012/58/19/2006/एलए/पीआईयू-टोंक]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2012

S.O. 1820(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.2236 (E), dated the 27th Sept. 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four/six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.12 on the stretch of land from Km.157/500 to Km.165/000 (Jaipur - Tonk - Deoli Section) in the State of Rajasthan;

And whereas the substance of the said notification has been published in "Dainik Bhaskar" and "Rajasthan Patrika" in dated the 19th Nov. 2011; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

SCHEDULE

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Govemment hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km.157/500 to Km.165/000 (Jaipur - Tonk - Deoli Section) of the National Highway No.12 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of the village	Khasra number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)	Name of the land owner / Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bhilwara	Jahajpur	(1) Kuchalwada Kalan	1797/1509	Government	Unirrigated	2.2673	Bisalpur priyojna ke visthapito ke krishiev punervaas ke pryojnath aarkshit
			(2) Kuchalwada Khurd	686/176	Private	Hai 1	0.0900	Rakesh s/o Chanda. Mnni devi w/o Chanda Meena Khatedar
				177	Private	Unirrigated	0.0900	Setaram s/o sokran. Ramdev s/o debiya, ramniwas rajesh s/o shree lal fefa s/o madu rakesh s/o chanda mnni devi w/o chanda rhan s.b.b.j. Jahajpur heesa sitaram
				639/248	Private	Hai 3	0.0400	Lalaram mutbnna dyalaram bairwa khatedar
				640/248	Private	Hai 3	0.0300	Ramprasad s/o gopi bairwa khatedar
						Total	**2.5173**	

[F. No. NHAI/BOT/11012/58/19/2006/LA/PIU-Tonk]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.